हरियाणा सिविल सचिवालय
चण्डीगढ़
15 DEC 2020
परिचालन संख्या

Chief Secretary's Office
Receipt No. 121243
Date 17/12/2020
Haryana

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
(हरियाणा सरकार)

नव सचिवालय भवन, हरियाणा, सैक्टर 17,
चण्डीगढ़–160017

यादी क्रमांक 1391 ज–4–2020/ 5318
चण्डीगढ़ दिनांक 4/12/2020

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।
2. भारत के सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
3. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

विषय:– निदेशालय भू–अभिलेख, हरियाणा में संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी का पद स्थानान्तरण आधार पर भरने बारे।

निदेशालय भू–अभिलेख, हरियाणा पंचकूला में संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी के एक पद को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अन्य विभागो से Matrix FPL-11 of Scheduled 1 of pay Matrix as per Notification No.1/20/2016(RP)-5PR(FD),dated 28th October,2016 issued by the Finance Department Haryana के वेतनमान मे स्थानान्तरण आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है। हरियाणा भू–अभिलेख सगंठन सांख्यिकीय (ग्रुप 'क') सेवा नियम, 1989 के परिशिष्ट 'ख' में इस पद हेतू निम्न प्रकार शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव वांछित है:–

(I) एम0 ए0 स्तर या बी0ए0 आनर्स स्कूल स्तर पर सांख्यिकी के विषय में एक प्रश्न पत्र के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में एम0ए0 की उपाधि, यदि उम्मीदवार गणित या अर्थशास्त्र में आनर्स स्कूल में स्नातक भी हो या सांख्यिकी मे एम0ए0 की उपाधि रखता हो।

(II) किसी विश्वविद्यालय या आर्थिक तथा सांख्किीय संगठन मे विभिन्न आर्थिक तथा सांख्यिकीय विषयों पर अनुसंधान का मार्गदर्शन तथा संचालन करने मे पांच वर्ष का अनुभव।

(III) उप निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

(IV) मैट्रीक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।

2. जो इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त शर्ते /योग्यताएं पूर्ण करते हो, उनके आवेदन पत्र पूर्ण दस्तावेजों सहित उनका पिछले 10 वर्षो का सत्यापित गोपनीय रिकार्ड उनकी नियुक्ति का माध्यम तथा उनके नाम विभागाध्यक्ष की सिफारिश सहित इस पत्र के जारी होने की तिथि के 15 दिनों की अवधि के अन्दर–अन्दर भिजवाने का कष्ट करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण आधार पर आने वाले इच्छुक उम्मीदवार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का कोई मामला लम्बित नही होना चाहिए।

अवर सचिव राजस्व
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव एंव वित्तायुक्त हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

Not for Services-I for ne.
USA